संख्या-33/2023/I/348694/001-71-4099-692-2021

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 13 जुलाई, 2023**

विषयः-उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत निर्माणधीन 500 बेडेड सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1379/ई/यूपीयूएमएस/अनु0(65)/2023-24 दिनांक-23.06.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत निर्माणधीन 500 बेडेड सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के निर्माण हेतु परियोजना की स्वीकृत पुनरीक्षित लागत रू० 48988.61 लाख के सापेक्ष 5 प्रतिशत की धनराशि रोकते हुए अवशेष धनराशि रु० 1326.99 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत निर्माणधीन 500 बेडेड सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-031 के अधीन पूंजी लेखाशीर्ष 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-05-रूरल इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सैफई, इटावा मानक मद 24-वृहद् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रुपये 2500.00 लाख (रुपये पचीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष रुपये 226.99 लाख (रुपये दो करोड़ छब्बीस लाख निन्यानवे हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों /प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा , जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. कार्य की गुणवत्ता , मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कुलसचिव/कार्यदायी संस्था की होगी।
4. अवमुक्त धनराशि का आहरण एक मुश्त नहीं किया जायेगा , अपितु आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। आहरित धनराशि को डाक घर/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
5. शासनादेश संख्या-आई/ 115214/2021-71-4099/692/2021-4- दिनांक-18.11.2021 में उल्लिखित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
6. शासनादेश संख्या-9/2023/I/290039/2023/001-71-4099-692-2021 दिनांक-20.03.2023 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,26,99,000 (रुपये दो करोड़ छब्बीस लाख निन्यानवे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050500 रूरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई, इटावा **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
आनन्द कुमार त्रिपाठी
उप सचिव।

<u>संख्या एवं तद्दिनांक।</u>
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, सैफई, इटावा।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्व्विद्यालय सैफई, इटावा।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/ वित्ता (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. नोडल अधिकारी/ संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार त्रिपाठी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in